



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- 3-3-16014-15

दिनांक:- 13/1/16

श्री विक्रम सिंह झाला पिता श्री भैरव सिंह झाला
एवं श्री रोहिताश्व झाला पिता श्री हिम्मत सिंह झाला

विषय :- भवन निर्माण का अनुमति पत्र (द्वितीय चरण)

महोदय/महोदया,

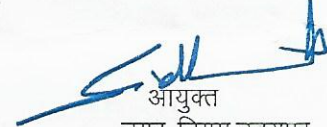
आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक भ.अ./060/2014-2015..... दिनांक 12/6/2014.... के अनुसरण में दैत्यमगरी, उदयपुर, नामी योजना के भूखंड संख्या 10..... ब्लॉक संख्या मिश्रा मार्ग..... भूखंड संख्या 10..... वार्ड संख्या 4..... क्षेत्रफल 16030'-0"..... वर्ग फीट पर भवन समिति की बैठक संख्या 5 दिनांक 15/12/2015 में लिये निर्णयानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ ईजाजत दी जाती है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बैक 30'-0"..... फीट
पीछे का सेट बैक 15'-0"..... फीट
पार्श्व का सेट बैक पार्श्व 1- 15'-0"..... फीट पार्श्व 2 - 15'-0"..... फीट

2. भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 43'-0"-44'-0"..... फीट है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
4. आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
5. आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
6. आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
7. आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
8. इस भवन की ईजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
9. यह स्वीकृति मात्र आवासीय फ्लेट्स उपयोग तथा बने बेसमेन्ट पार्किंग, भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर तृतीय एवं चतुर्थ मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लें।
10. भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाईन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
11. भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को घरेलु उपयोग में लिया जावे।
12. भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
13. प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखे तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।
14. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

15. मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लॉट नं./मकान नं., गली/सडक का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।
16. मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सडक की तरफ रैम्प, सिढी, नाल आदि न बनावें।
17. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ पदार्थ से बने 4'-0" × 4'-0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसका सीमांकन/ले आउट अथवा मार्किंग निगम के कनिष्ठ अभियन्ता से कराया जाकर उसी अनुरूप निर्माण प्रारम्भ करें।
20. पूर्व स्वीकृति दिनांक 26.02.2015 की शर्त संख्या 20 से 26 तक सभी मान्य रहेगी।
21. प्रार्थी सेट बैक में निर्माण नहीं करावे।


 आयुक्त
 नगर निगम, उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0'ft.in ground floor and 10'-0' ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricitly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this deparment.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. प्रन्यास शाखा प्रथम/द्वितिय को प्रेषित कर लेख है कि नियमों के उल्लंघन विपरित रिपोर्ट आने पर आर को को कार्यवाही हेतू भेजे एवं प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, शम आयुक्त, उदयपुर (राज)।

आयुक्त
 नगर निगम, उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- 3/60/2014-15

दिनांक:- 26/2/2015

श्री विक्रम सिंह झाला पिता श्री भैरव सिंह झाला
एवं श्री रोहिताश्व झाला पिता श्री हिम्मत सिंह झाला

विषय :- भवन निर्माण का अनुमति पत्र (प्रथम चरण)

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक म.अ/060/2014-2015..... दिनांक ...12/6/2014.....के अनुसरण में .. गोगुन्दा हाऊस,, एल.एन.मिश्रा मार्ग रेल्वे कॉलोनी, स्वरूप सागर,, उदयपुर,, नामी योजना के भूखंड संख्या 10..... ब्लॉक संख्या-..... भूखंड संख्या 10..... वार्ड संख्या 4..... क्षेत्रफल 16030'-0"..... वर्ग फीट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अनुसार अनुमति पत्र जारी किया जाता है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बैक 30'-0"..... फीट
पीछे का सेट बैक 15'-0"..... फीट
पार्श्व का सेट बैक पार्श्व 1- 15'-0"..... फीट पार्श्व 2 - 15'-0"..... फीट

- भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 43'-0"-44'-0"..... फीट है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
- आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
- आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
- इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- यह स्वीकृति मात्र आवासीय फ्लैट्स उपयोग तथा बेसमेंट पार्किंग + भूतल + दो... मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लें।
- भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाइन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावे।
- भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावे तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।
- यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयवाधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

15. मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लॉट नं./मकान नं., गली/सडक का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।
16. मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सडक की तरफ रैम्प, सिढ़ी, नाल आदि न बनावें।
17. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ़ पदार्थ से बने 4'-0" × 4'-0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसका सीमांकन/ले आऊट अथवा मार्किंग निगम के कनिष्ठ अभियन्ता से कराया जाकर उसी अनुरूप निर्माण प्रारम्भ करें।
20. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होगा।
21. भवन की सुरक्षा के लिये क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इंजिनियर से स्ट्रक्चर डिजाईन करवा कर ही निर्माण करावे एवं भूकम्प विरोधी भवन की संरचना बनावे।
22. बेसमेन्ट पार्किंग बाबत दिनांक .23/2/2015... के समर्पण की शर्तों पर कायम रहे।
23. प्रार्थी द्वारा दिये गये समस्त शपथ पत्रों की शर्तों की पूर्णता से पालना की जावे।
24. भवन में सौर ऊर्जा सयंत्र लगाया जावे।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करे।


आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space except in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0'ft.in ground floor and 10'-0' ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricltly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this deparment.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
3. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त, उदयपुर (राज)।

/
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- 25/3/18/2014-15

दिनांक:- 17-5-2014

श्री विक्रम सिंह पिता श्री भैरव सिंह झाला
एवं श्री रोहिताश्व सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह झाला

विषय :- भवन निर्माण का अनुमति पत्र (प्रथम चरण)

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक ...भ.अ/18/2014-2015... दिनांक ...5/5/14...के अनुसार में एल.एन मिश्रा मार्ग, स्वरूप सागर, रेल्वे कॉलोनी,, दैत्यमगरी, उदयपुर.. नामी योजना के मकान संख्या ..10.... ब्लॉक संख्या-..... मकान संख्या ...10.... वार्ड संख्या 4.... क्षेत्रफल 22355'-0''.. वर्ग फीट/वर्ग मीटर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ सक्षम स्तर से अनुमोदन अनुसार अनुमति पत्र जारी किया जाता है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बैक 40'-0''..... फीट

पीछे का सेट बैक 20'-0''..... फीट

पार्श्व का सेट बैक पार्श्व 1- 20'-0''..... फीट पार्श्व 2 - 20'-0''..... फीट

- भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 43'-0''..... फीट है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
- आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
- आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तोड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
- इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- यह स्वीकृति मात्र आवासीय फ्लेट्स उपयोग तथा बेसमेन्ट पार्किंग, भूतल + दो मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लें।
- भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाइन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावे।
- भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावे तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।
- यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
- मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लॉट नं./मकान नं., गली/सड़क का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावे।
- मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सड़क की तरफ रैम्प, सिढ़ी, नाल आदि न बनावे।
- प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ़ पदार्थ से बने 4'-0'' x 4'-0'' आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सनिमार्ग की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।

18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होगा।
20. भवन की सुरक्षा के लिये क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इंजिनियर से स्ट्रक्चर डिजाईन करवा कर ही निर्माण करावे एवं भूकम्प विरोधी भवन की संरचना बनावे।
21. बेसमेन्ट में मेनुवल/मेकेनाईज एवं खुले में पार्किंग रखे व पार्किंग बाबत दिनांक 10.6.14 के समर्पण की शर्तों पर कायम रहे।
22. प्रार्थी द्वारा दिये गये समस्त शपथ पत्रों की शर्तों की पूर्णता से पालना की जावे।
23. भवन में सौर ऊर्जा सयंत्र लगाया जावे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करे।
25. दिनांक 16.6.14 के शपथ पत्र की पालना करे व उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसकी पालना करनी होगी।
26. यह भवन अनुमति सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित याचिका संख्या 14970-71/2013 व अन्य याचिकाओं/अन्य न्यायालय में झील निषेध क्षेत्र बाबत होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेगी। शर्त संख्या 1 से 26 तक किसी भी शर्त की अवहेलना पर यह अनुमति स्वतः निरस्तनीय रहेगी। भवन में मल मूत्र निस्तारण हेतु सीवरज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाना अनिवार्य होगा। उक्त अनुमति बाबत किसी भी न्यायालय/सक्षम स्तर/राज्य सरकार द्वारा विपरित निर्णय लिये जाने की स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्तनीय रहेगी।


 आयुक्त
 नगर निगम, उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0'ft.in ground floor and 10'-0' ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricltly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this department.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
3. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त, उदयपुर (राज)।


 आयुक्त
 नगर निगम, उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-

स.अ./18/14-15

दिनांक:- 8/3/16

श्री विक्रम सिंह झाला पिता श्री भैरव सिंह झाला
एवं श्री रोहिताश्व सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह झाला

विषय :- भवन निर्माण का अनुमति पत्र (द्वितीय चरण में)

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक ..स.अ./018/2014-2015... दिनांक .05/05/2014..के अनुसारण में एल.एन. मिश्रा मार्ग, स्वरूप सागर, रेल्वे कॉलोनी, दैत्यमगरी, उदयपुर. नामी योजना के भूखंड संख्या ..10..... ब्लाक संख्या-.... भूखंड संख्या ...10... वार्ड संख्या 4.... क्षेत्रफल .22355'-0''.. वर्ग फीट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक ..03/03/2016.. में लिये गये निर्णय अनुसार इजाजत दी जाती है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बेक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बेक 40'-0''..... फीट
पीछे का सेट बेक 20'-0''..... फीट
पार्श्व का सेट बेक पार्श्व 1- 20'-0''..... फीट पार्श्व 2 - 20'-0''..... फीट

2. भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के-..... प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 43'-0''..... फीट है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
4. आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
5. आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या भोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
6. आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
7. आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
8. इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
9. यह स्वीकृति मात्र आवासीय फ्लेट्स उपयोग तथा निर्मित बेसमेन्ट पार्किंग+भूतल + दो मंजिल पर तृतीय एवं चतुर्थ मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लें।
10. भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाईन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
11. भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावे।
12. भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
13. प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।
14. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
15. मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लॉट नं./मकान नं., गली/सड़क का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।

16. मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सड़क की तरफ रैम्प, सिढ़ी, नाल आदि न बनावें।
17. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ़ पदार्थ से बने 4'-0" × 4'-0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसका सीमांकन/ले आउट अथवा मार्किंग निगम के कनिष्ठ अभियन्ता से कराया जाकर उसी अनुरूप निर्माण प्रारम्भ करें।
20. बेसमेन्ट व खुले में पार्किंग बाबत दिनांक 03.03.2016 के समर्पण पत्र की शर्तों पर कायम रहे।
21. प्रार्थी द्वारा दिये गये समस्त शपथ पत्रों की शर्तों की पूर्णता से पालना की जावे।
22. भवन में सौर ऊर्जा सयंत्र लगाया जावे।
23. राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करे।
24. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होगा।
25. भवन की सुरक्षा के लिये क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इंजिनियर से स्ट्रक्चर डिजाइन कर ही निर्माण करावें एवं भूकम्प विरोधी भवन की संरचना बनावे।


आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

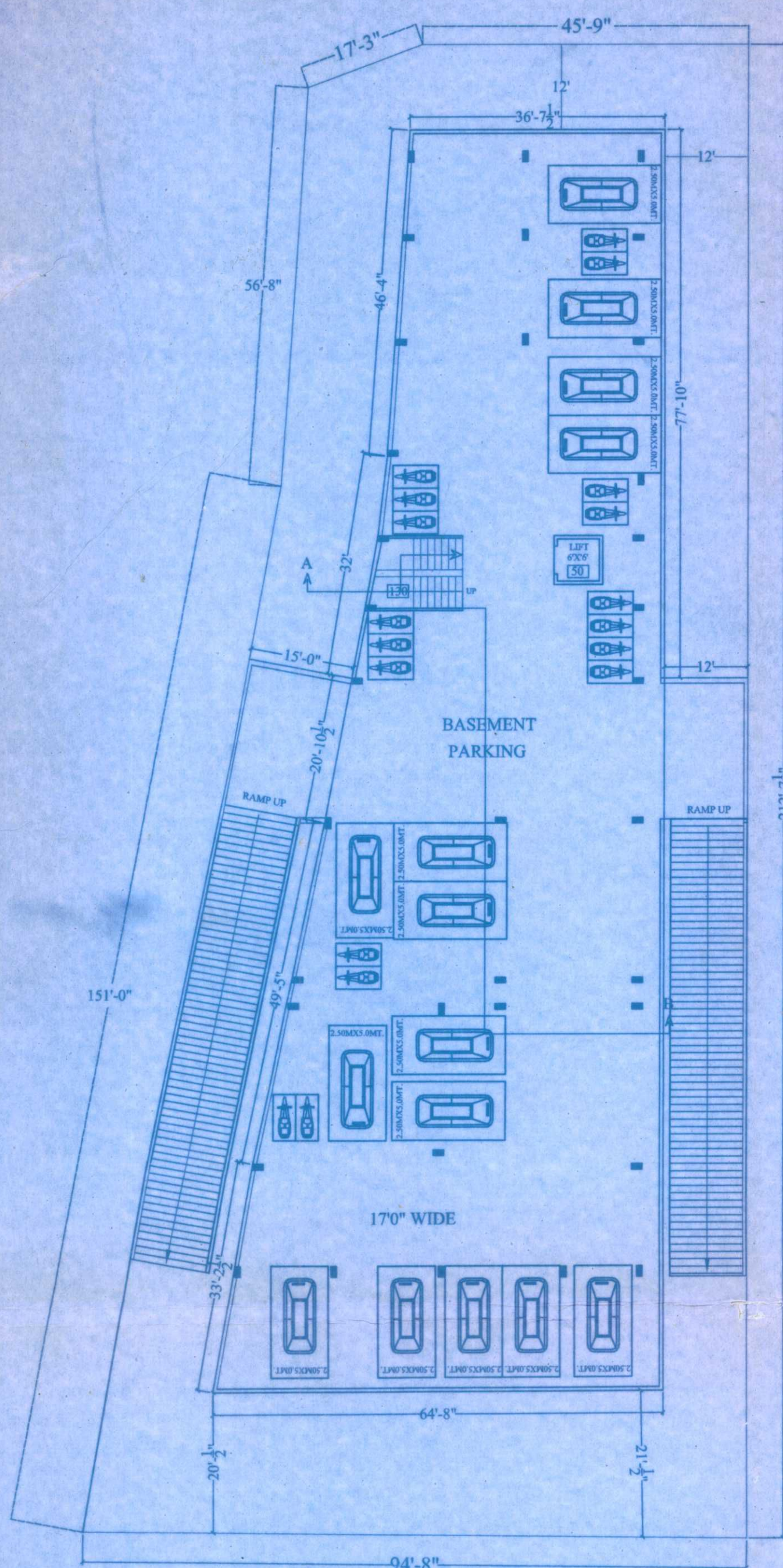
CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space except in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0'ft.in ground floor and 10'-9" ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this deparment.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly follow ed.

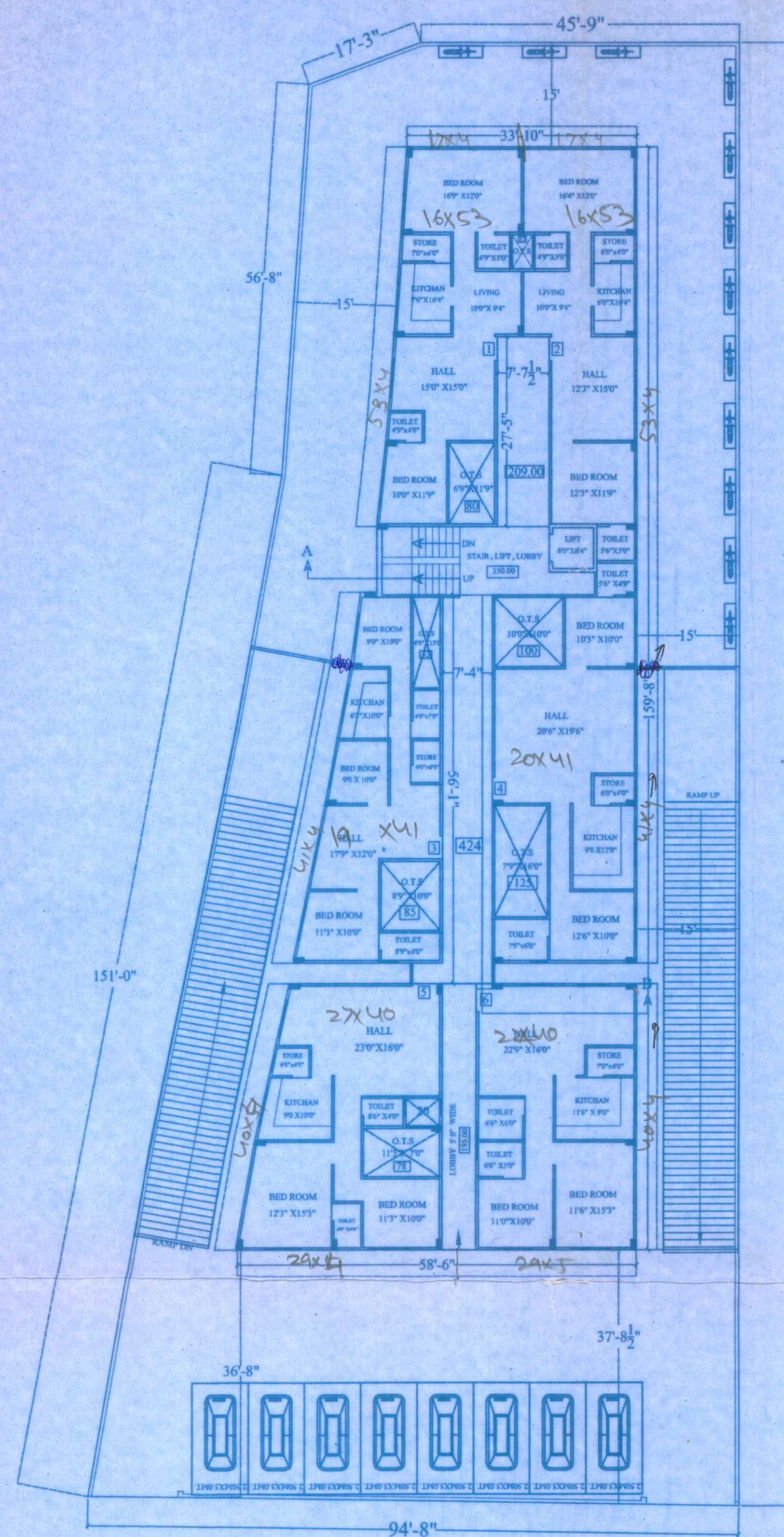
प्रतिलिपि :-

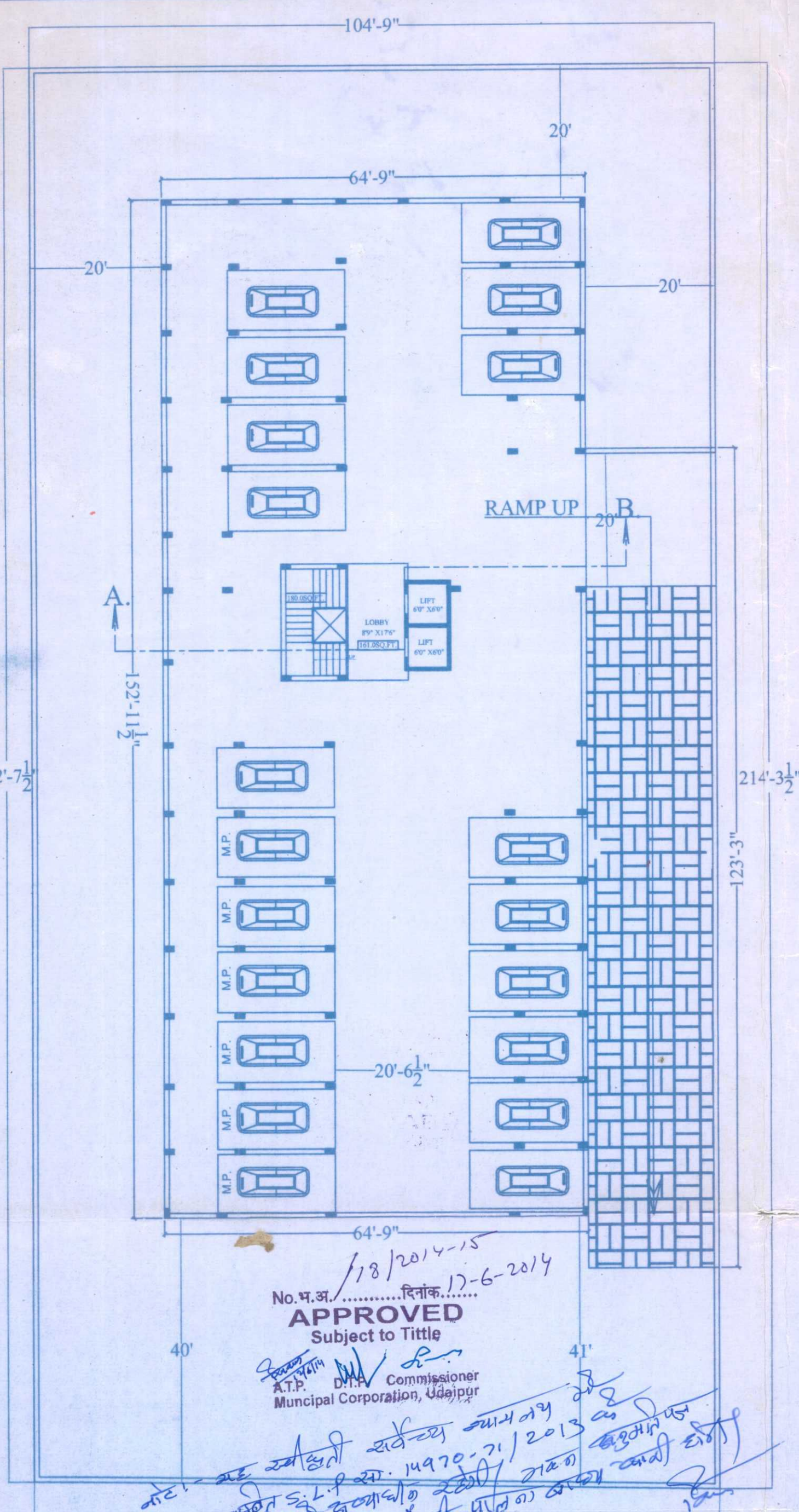
1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. प्रन्यास शाखा प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि नियमों के उल्लंघन विपरित रिपोर्ट आने पर आर ओ को कार्यवाही हेतु भेजे एवं प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त, उदयपुर (राज)।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

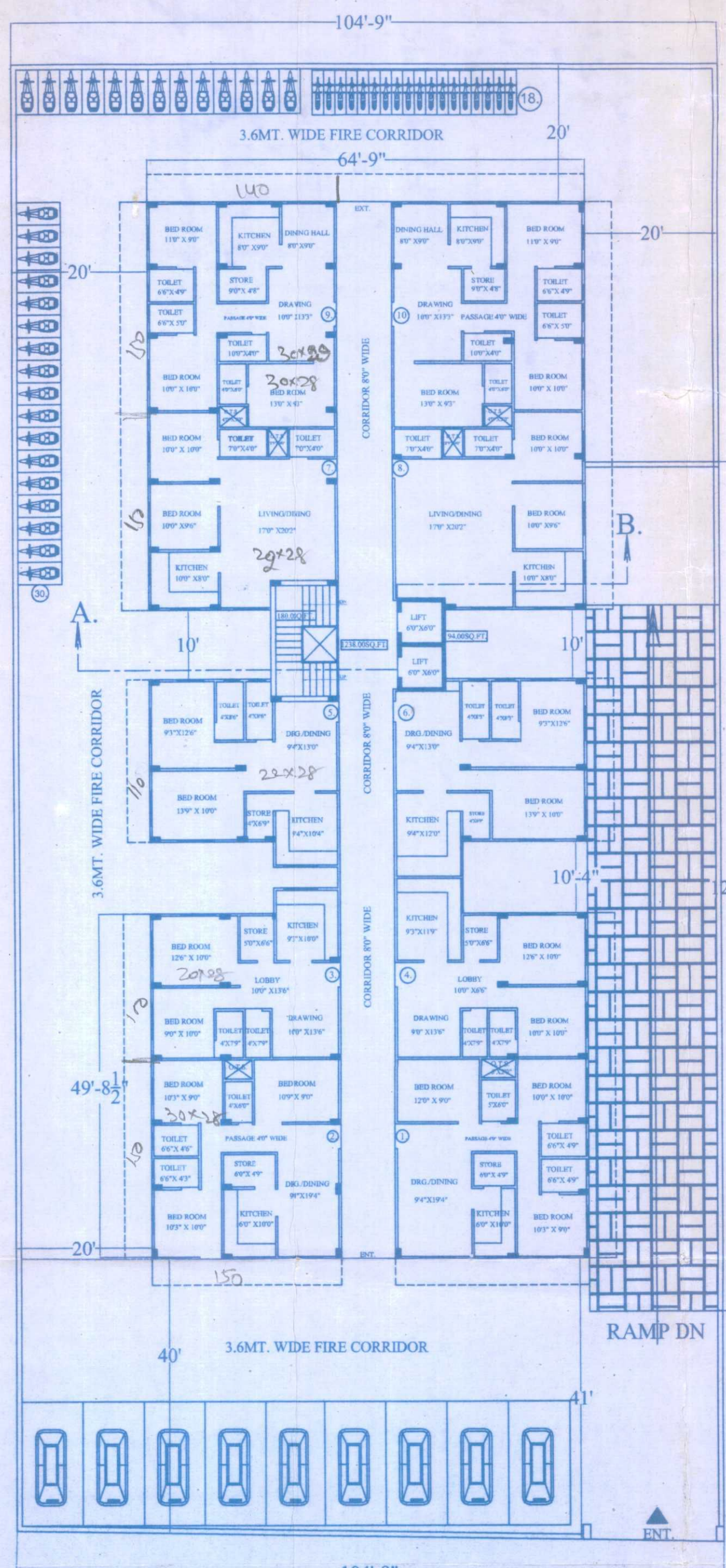


BASEMENT NET PARKING

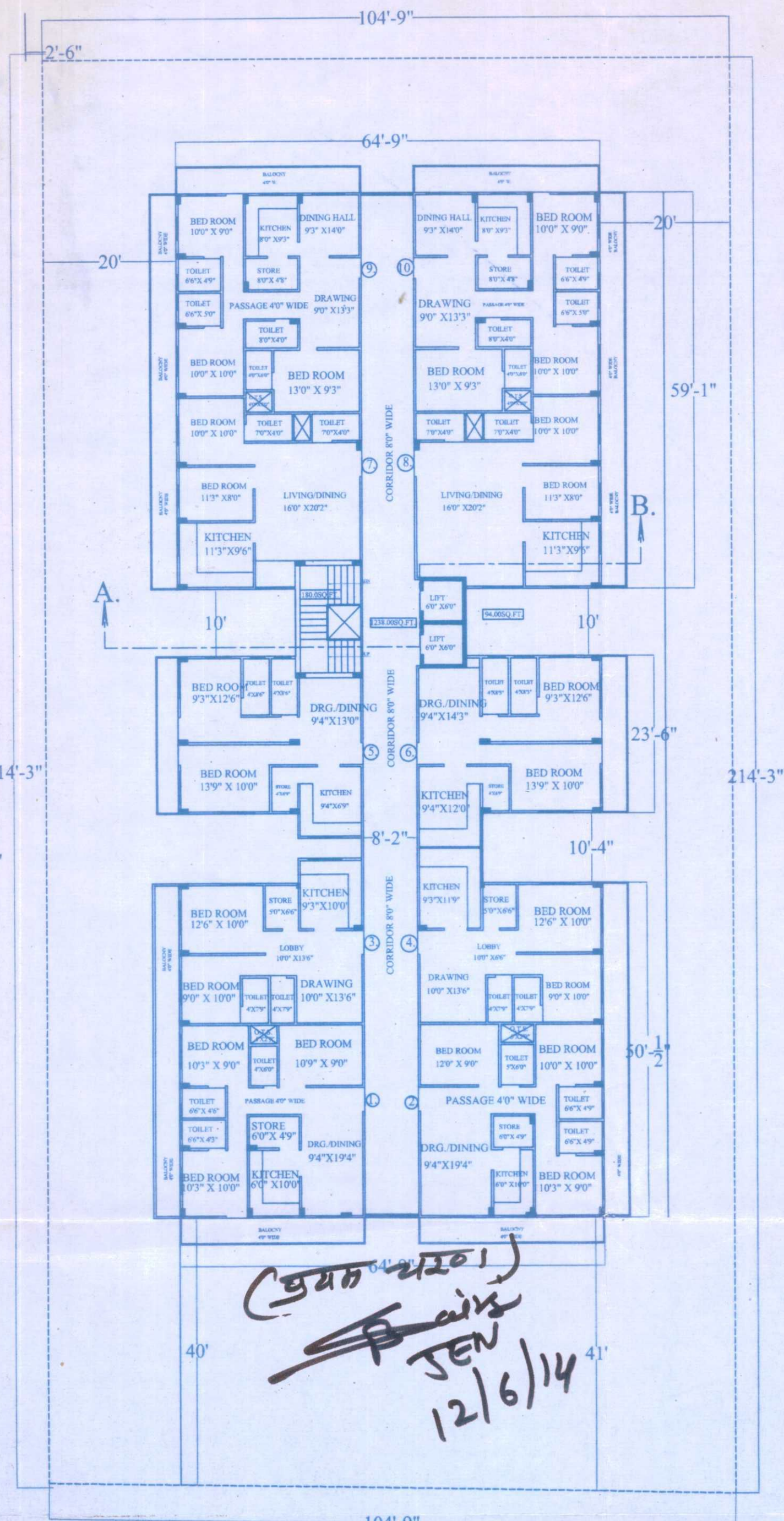




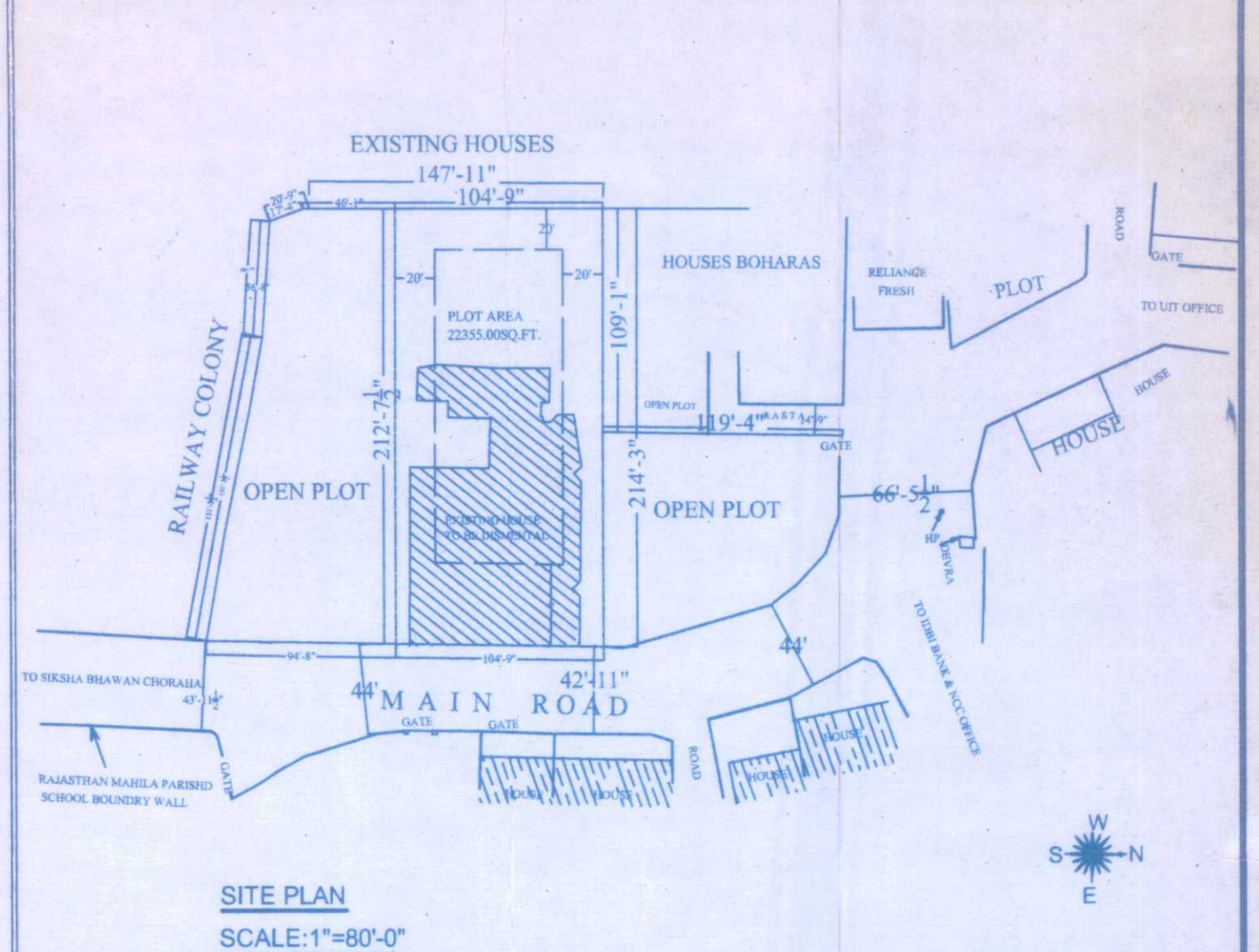
BASEMENT FLOOR FLOOR PLAN



MAIN ROAD
GROUND FLOOR FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



PLOT SIZE : AS PER SHOWN
PLOT AREA : 22,355.00 SQ.FT.

F.A.R. AREA DETAIL

PARTICULAR	BUILTUP IN SQ.FT.	DIDUCTION FOR F.A.R.	F.A.R. AREA IN SQ.FT.
Basement Floor	9901.00	9901.00	00.00
Ground floor area	9106.00	1512.00	7594.00
First floor area	9106.00	1512.00	7594.00
Second floor area	8935.00	2737.00	6198.00
Third floor area	7664.00	3148.00	4516.00
Fourth floor area	7664.00	3148.00	4516.00
Total Const. Area	52376.00	21939.00	30418.00

30418- 912(STORAGE 3 %) = 29506.00sq.ft.

29506.00 / 22355.00
NET F.A.R. = 1.32

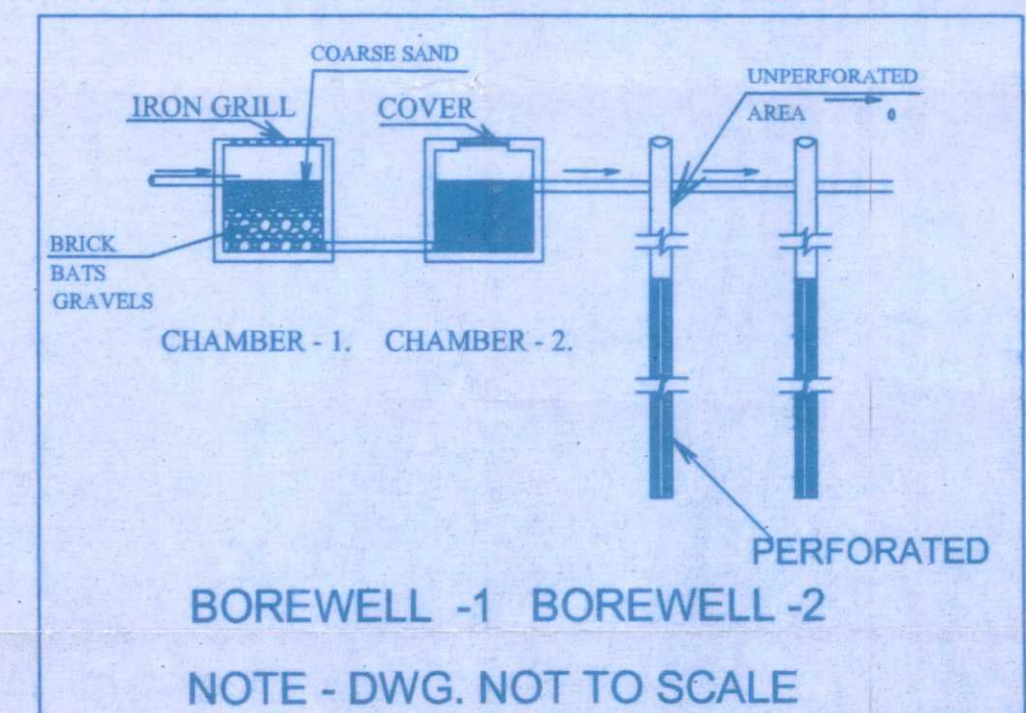
GROUND COVERAGE = 41% OF PLOT AREA
NO. OF FLATS = 46
TOTAL HEIGHT = 48'9"

PARKING DETAIL

REQUIRED PARKING E.C.U. = 29506.00 / 10.76 / 75 = 37
VISITOR PARKING 25% = 9
TOTAL REQUIRED PARKING E.C.U. = 46
PARKING E.C.U. IN BASEMENT FLOOR = 9901 - 435 / 10.76 / 32 = 27
PARKING E.C.U. IN OPEN AREA = 22355 - 9106 - 2485 (RAMP) = 10784.00
NET AREA = 10784.00 / 10.76 / 23 = 43.00
TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 43 + 27 = 70.

PROPOSED FLATS PLAN FOR
SH. VIKRAM SINGH JHALA
S/O SH. BHAIKAV SINGH JHALA
SH. ROHITASHWA SINGH JHALA
S/O SH. HIMMAT SINGH JHALA
10, L. N. Mishra Marg, Swaroop Sagar
Rly Colony, Daytiy Magri, UDAIPUR (RAJ.)

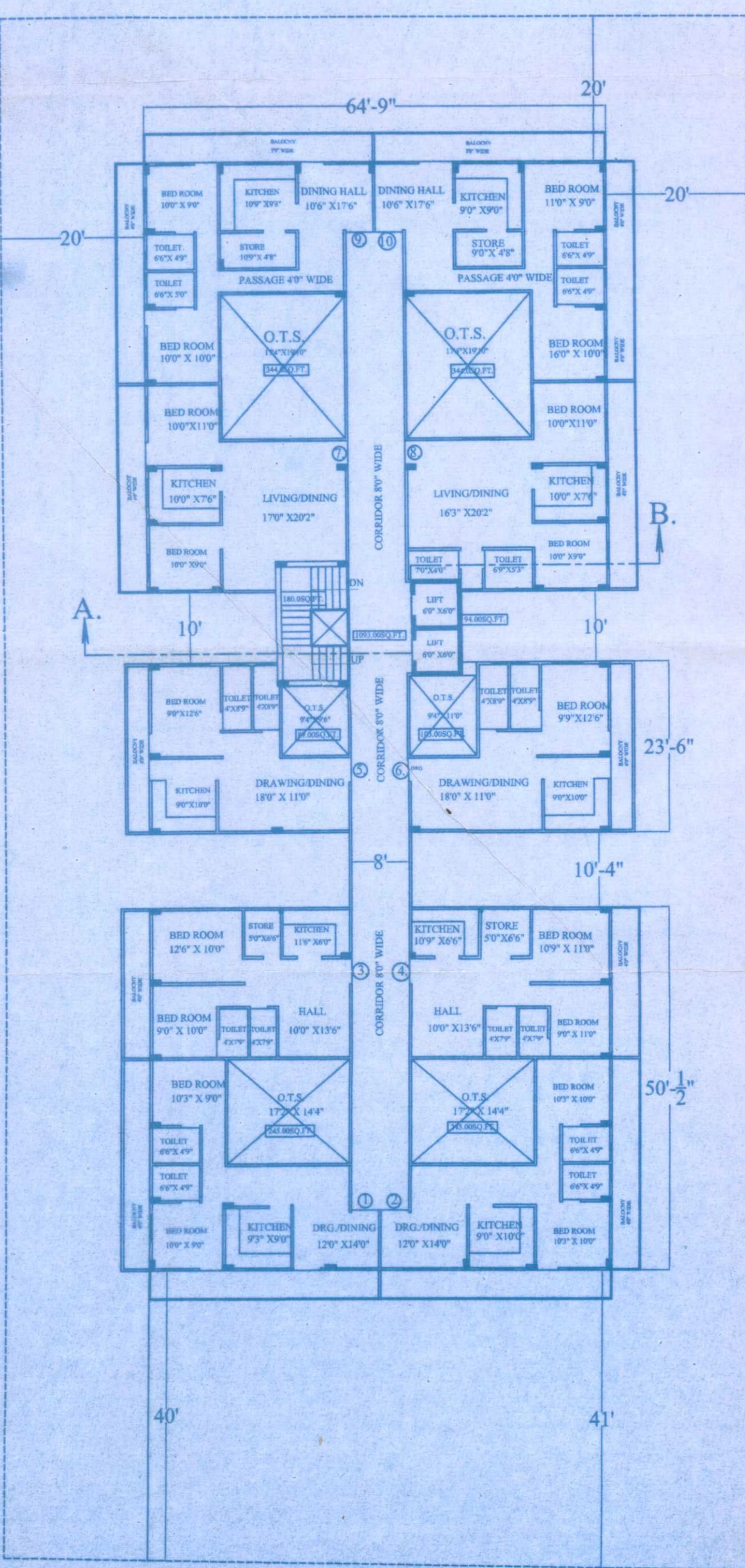
RAIN WATER HARVESTING SYSTEM



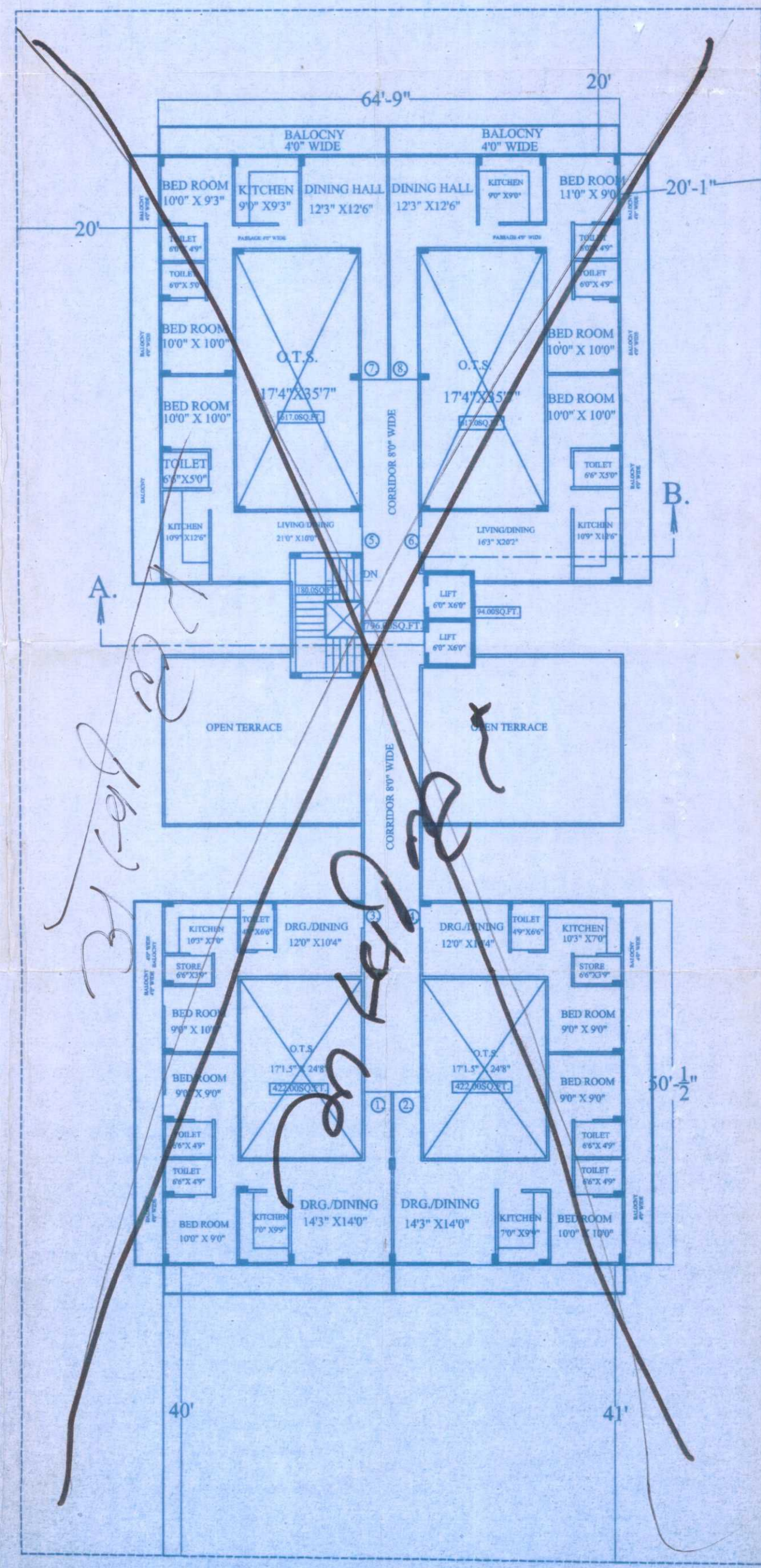
SCALE 1"= 16'0"

SIG. OWNER

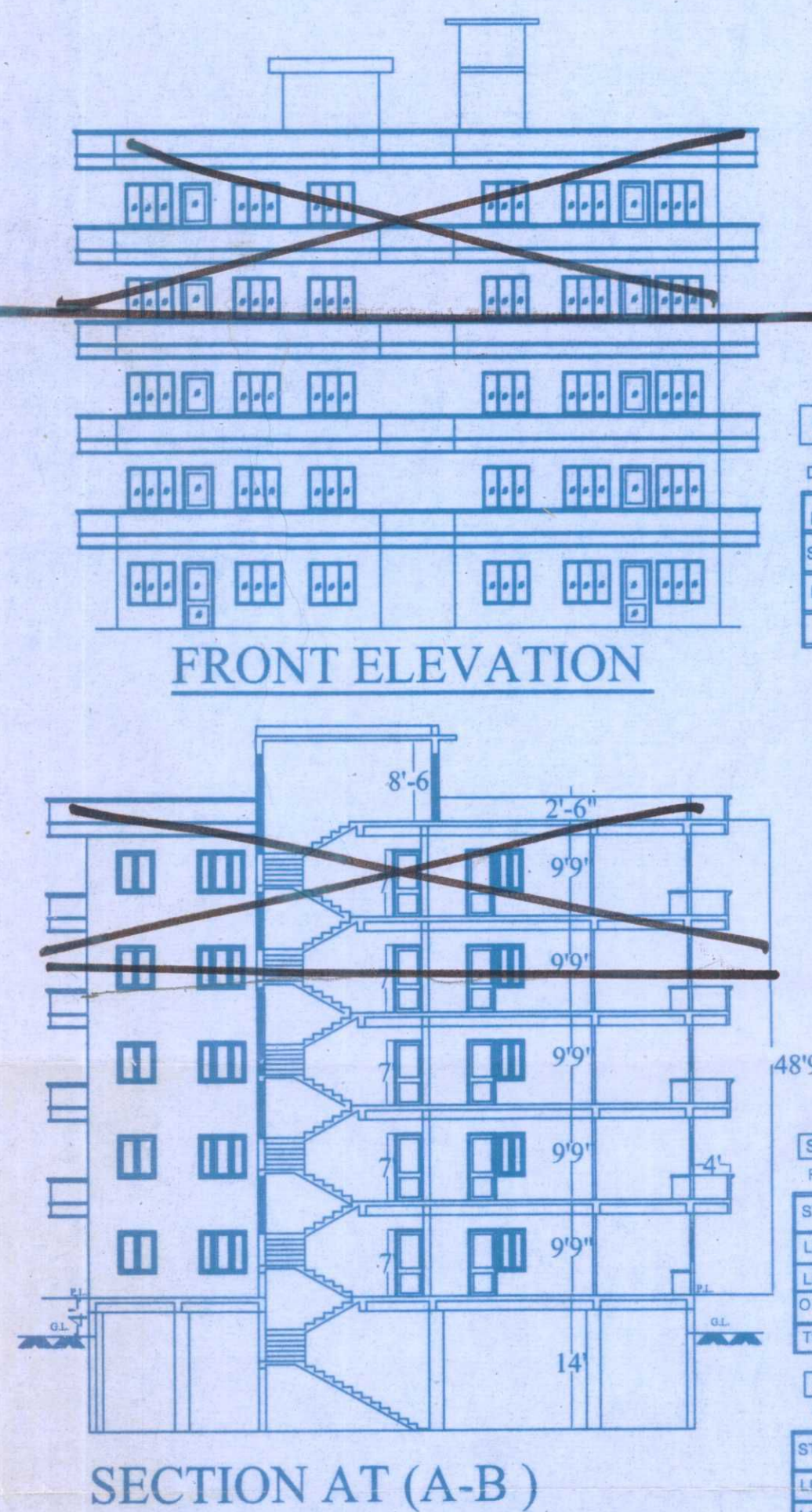
ARCHITECT



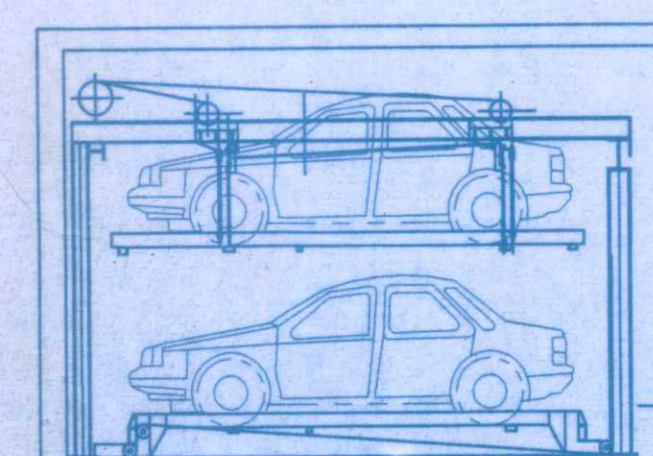
SECOND FLOOR PLAN



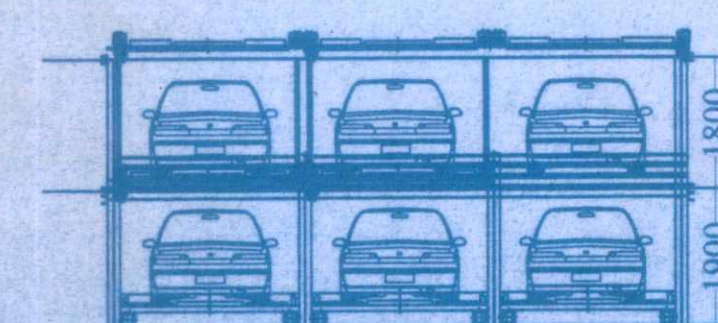
THIRD & FOURTH FLOOR PLAN



SECTION AT (A-B)



PUZZLE PARKING SECTION



PUZZLE PARKING ELEVATION

BASMENT FLOOR B. AREA = 9901.00SQ.FT.	
DIDUCTION DETAIL FOR PARKING	
LIFT AREA =	= 180.00 SQ.FT
STAIR CASE AREA =	= 094.00SQ.FT
LOBBY AREA =	= 1238.00 SQ.FT
TOTAL	= 435.00SQ.FT
GROUND B. AREA = 9069.00SQ.FT	
F.A.R. DEDUCTION DETAIL	
STAIR CASE AREA =	= 180.00SQ.FT
LIFT AREA =	= 094.00SQ.FT
LOBBY AREA =	= 1238.00 SQ.FT
TOTAL	= 1512.00 SQ.FT
FIRST FLOOR B.A. = 9106.00SQ.FT	
F.A.R. DEDUCTION DETAIL	
STAIR CASE AREA =	= 180.00SQ.FT
LIFT AREA =	= 094.00SQ.FT
LOBBY AREA =	= 1238.00 SQ.FT
TOTAL	= 1512.00 SQ.FT
SECOND B. AREA = 8935.00SQ.FT	
F.A.R. DEDUCTION DETAIL	
STAIR CASE AREA =	= 180.00SQ.FT
LIFT AREA =	= 094.00SQ.FT
LOBBY AREA =	= 1238.00 SQ.FT
O.T.S. = 245+245+85+103+344+344	= 1370.00 SQ.FT
TOTAL	= 2737.00 SQ.FT
3RD,4TH. AREA = 7664.00SQ.FT.	
F.A.R. DEDUCTION DETAIL	
STAIR CASE AREA =	= 180.00SQ.FT
LIFT AREA =	= 094.00SQ.FT
LOBBY AREA =	= 1238.00 SQ.FT
O.T.S. = 422+422+417+417	= 2078.00 SQ.FT
TOTAL	= 3148.00 SQ.FT

PARKING DETAIL

TOTAL REQUIRED PARKING E.C.U. = 46

TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 46

1. CAR IS (76% OF E.C.U.)

AREA FOR EACH CAR = 2.00SQ.5 MT.

2. TWO WHEELER 1000 = 30 (20% OF E.C.U.)

AREA FOR EACH TWO WH. = 1.00SQ.2 MT.

3. CYCLE 300 = 18 (5% OF E.C.U.)

AREA FOR EACH CYCLE = 0.50SQ.02 MT.

UNIT	BASEMENT	OPEN AREA	TOTAL UNIT
CAR	44-(60X2+2P.3)	09	30.
TWO WH.		30.	30.
CYCLE		18.	18.